आवश्यक / ई–मेल

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ

पत्र संख्या 759/C / **12–निर्माण /** **दिनांक** 18-08-2017

समस्त,
अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता,
कार्यालय क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 673 / पी.एस. / कार्यवृत्त / 2017 दिनांक 18.08.2017 के प्रस्तर 8 में निर्देश दिये गये हैं कि " विभाग में **भ्रष्टाचार** के सम्बन्ध में **ज़ीरो टॉलेरेंस** की नीति निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित कर दें, यदि उक्त में किसी भी विभागाध्यक्ष कार्यालय / परिक्षेत्र / जिले / समिति / परिषद से किसी भी प्रकार की सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होगी तो इसका संज्ञान लेते हुए कठोरतम् कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के भ्रष्ट आचरण की जानकारी संज्ञान में आती है, तो उसके पर्यवेक्षकीय अधिकारी की जिम्मेदारी भी निर्धारित करते हुए तत्काल कठोरतम् कार्यवाही की जायेगी।"

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को उपरोक्तानुसार सूचित करते हुए उक्तानुसार अनुपालन करना / कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य न होगी।

18/8/17

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता,
कार्यालय आयुक्त,गन्ना एवं चीनी,उ.प्र.

पृष्ठांकन संख्या 759/C **/ तद्दिनांकित**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन हेतु प्रेषित–

1. समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी अधीनस्थ कार्मिकों को प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।

18/8/17

मुख्य अभियन्ता,
कार्यालय आयुक्त,गन्ना एवं चीनी,उ.प्र.